

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार साव पिता- नंदकिशोर साव & श्री श्रवण कुमार पिता- बिरेन्द्र साव ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 72 एवं 129 के अधीन प्लॉट सं. 2128, 2177, 206, 282, 301, 1650, 2035 एवं 1984 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 72 एवं 129 के अधीन प्लॉट 2128, 2177, 206, 282, 301, 1650, 2035 एवं 1984 कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत श्री प्रदीप कुमार साव पिता- नंदकिशोर साव एवं श्री श्रवण कुमार पिता- बिरेन्द्र साव ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला :- लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

वि.स.स. 15  
08/04/22